भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2206
दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोवैक्सीन को मान्यता

2206. श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री वाई.देवेन्द्रप्पा:
डॉ. उमेश जी.जाधव:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में निर्मित कोवैक्सीन के नागरिकों के उपयोग हेतु मान्यता देने के क्या लाभ हैं;

(ख): भारत में दिये जाने वाले कोविड-19 टीकों को मान्यता देने वाले देशों की कुल संख्या कितनी है;

(ग): क्या जी-20 देशों में से किसी ने अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को मान्यता नहीं दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मान्यता देने हेतु प्रशासन से अनुरोध करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ): देश के नागरिकों को भारत में निर्मित कोवैक्सीन को समयबद्ध मान्यता मिलने से प्रतिबंधों में किस प्रकार की ढील मिलने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकाल उपयोग सूची (ईयूएल) उपलब्ध गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता और निष्पादन आंकड़ों के अनिवार्य सेट के आधार पर विशिष्ट टीकों के उपयोग की स्वीकार्यता का निर्धारण करने में इच्छुक यूएन प्रापण एजेंसियों और सदस्य राज्यों/देशों की सहायता करती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावित लोगों के लिए इन उत्पादों की उपलब्धता में तेजी लाना है और यह कोविड-19 टीकों के आयात और टीकाकरण के लिए अपने स्वयं के विनियामक अनुमोदन की प्रक्रिया

में तेजी लाने को अनुमति देता है। कई देशों के अधिकारियों द्वारा डब्ल्यूएचओ-ईयूएल के तहत सूचीबद्ध ऐसे टीकों से प्रतिरक्षित व्यक्तियों को संरक्षित माना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की अनुमति दी जाती है। तथापि, सभी देशों की यात्रा के लिए कोविड-19 टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। भारत में भी वर्तमान में यात्रा के लिए कोविड-19 टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 6 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार, ऐसी अपेक्षाओं वाले कुल 108 देशों ने यात्रा उद्देश्य के लिए भारतीय टीकाकरण प्रमाण-पत्र को मान्यता दी है।

****